AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU)s (a) Yes, Sit.

(b) The construction work has been stopped for the present due to the shifting of services such as water mains, MTNL cables & DESU cables which are coming in the allignment of the bridge.

(c) The shifting of services is in progress and likely to be completed by 30.9.1996 by DESU and MTNL. Thereafter, the main work of the bridge to be executed by the Railways will be undertaken. The work is likely to be completed by the end of 1998.

उत्तर प्रदेश में सिकन्दराबाद में भूखण्डों का आबंटन

2447. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर द्वारा सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय भवनों और भूखंडों के आबंटन हेतु जून/जुलाई, 1989 में पंजीकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कौन-कौन से श्रेणी के भूखण्ड आबंटित किये गये हैं;

(ग) क्या विज्ञापन में वर्णित अनेक सुविधाएं स्थल पर उपलब्ध नहीं हैं और निगम ने भवनों का निर्माण उस ढंग से नहीं किया जैसा विज्ञापन में कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने भूखंड आबंटिती हैं जिन्होंने अपने-अपने भूखंडों की राशि की चार-चार किश्तें जमा करवा दी हैं और आगे किस्तें जमा करानी बंद कर दी है;

(ङ) क्या निगम ऐसे जमा किये गये धन को ब्याज सहित वापस लौटाने पर विचार करेगा; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) भूखण्ड के आबंटियों की श्रेणीवार सूची अनुपत्र में दी गयी है। (देखिये परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 57)

(ग) जी, नहीं। विज्ञापन में उल्लिखित सड़कें, मलजल निकासी, विद्युत लाइनें और जल आपूर्ति जैसी कुछेक सुविधाएं ही निगम द्वारा अपने संसाधनों से उपलब्ध करायी जानी थीं। ये सुविधाएं निगम द्वारा पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। निगम द्वारा रिहायशी एककों के निर्माण हेतु विज्ञापन में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) जिन आबंटियों ने भू-खण्डों के लिए चार किश्ते जमा कर दी है, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

टाइप ए	—	54
" " बी	—	54
" " सी	—	21
" " डी	—	51
" " ई	—	12

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि निगम, आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जमा राशि लौटा देगा।

बम्बई हाई में ढांचे के निर्माण हेतु समझौते की शर्तें

2448. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई हाई में ढांचे के निर्माण हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम रिलायंस औद्योगिक समूह और एनरान के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार समझौते की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) पन्ना, मुक्ता, दक्षिण एवं मध्य तापती क्षेत्रों के विकास/प्रचालन के लिए भारत सरकार, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और एनरान आयल एण्ड गैस (आई) लिमिटेड (ई ओ जी आई एल) के बीच 22 दिसम्बर, 1994 को उत्पादन हिस्सेदारी ठेके पर हस्ताक्षर किए गए है। क्षेत्रों की प्रचालक ई ओ जी आई एल होगी और विकास की लागतों और लाभों में परिसंघ के विभिन्न भागीदारों द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी होगी, अर्थात् ओ एन जी सी के लिए 40 प्रतिशत, आर आई एल के लिए 30 प्रतिशत तथा ई ओ जी आई एल के लिए 30 प्रतिशत।

(ख) और (ग) ठेके की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई जरूरत पैदा नहीं हुई है।